न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–68/2018

CIS No.-TS 119/2019

शेख सफिउल्लाह...वादी

बनाम

केदार प्रसाद...प्रतिवादी

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
16.06.2026	वादी की ओर से पैरवी नहीं है। प्रतिवादी की पैरवी है। वाद पुकार पर न तो वादी और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत है। प्रस्तुत वाद में वादी दिनांक 22.01.2025 के बाद से लगातार कोई पैरवी नहीं कर रहे है। वादी को दिनांक 22.05.2026 को वाद में उचित पैरवी करने हेतु अवसर दिया गया था। पुनः वादी को दिनांक 04.06.2026 को वाद में पैरवी करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था, किंतु वादी की ओर से पैरवी नहीं किया गया है। आज दिनांक 16.06.2026 को भी वादी की ओर से कोई पैरवी नहीं की गयी है। इससे प्रतीत होता है कि वादी को अपने वाद में कोई रुची नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करायें। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	